आदेश

17-5-17

दिनांकः—12.05.2017

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को अप्रार्थीगण द्वारा केश अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थना—पत्र दिया था, जो श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 20.02.2017 को मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया है। तत्पश्चात पत्रावली पेशी में ली गई है। वादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर एक हल्फनामा इस आशय का पेश किया है कि जीतसिंह, महेन्द्र सिंह पिसरान प्यारासिंह जाति जटसिख निवासी 8 ईईए का मु0न0 49 के कि0न0 1,2,9,10,11,12,19,20 सालम व कि0न0 21 में 1 बिस्वा कुल 8.01 बीघा नहरी भूमि वर्तमान में चोखाराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल साकिन 8 ईईए के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है के सम्बन्ध में हमारा पंचायत में राजीनामा हो चुका है। चोखाराम की दिनांक 25.12.2013 को मृत्यु हो चुकी है। चोखाराम की मृत्यु उपरान्त ताराचन्द, मनसुख ,रेशमी देवी, रामेश्वरी, धनवन्ती पि0 चोखाराम जायज वारिस है।

उक्त भूमि बाबत वादी ताराचन्द वगैरहा व प्रतिवादी जीत सिंह, महेन्द्रसिंह पिसरान प्यारा सिंह के बीच पंचायत ने आपसी राजीनामा करवा दिया है। और राजीनाम अनुसार मिकरान ने सभी प्रकरण न्यायालय से वापिस ले लिये है, उक्त भूमि का कब्जा मिकरान द्वारा आज रोज वादीगण श्री ताराचन्द, मनसुख पिसरान चोखाराम को सम्भला दिया है। अतः राजीनामा दिनांक 02.05.2017 के अनुसार विवादित भूमि पर वादी ताराचन्द, मनसुख वगैरहा का कब्जा है।

अतः राजीनामा अनुसार पत्रावली इसी स्तर पर बन्द की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(परमेश्वर लाल)
तहसीलदार (राजस्व)
पदमपुर

कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) पदमपुर
जिला श्रीगंगानगर (राज०)